

(२)

क्रमांक : एफ.18(आई-24)निजमूस/आई डब्ल्यूएमपी / 2010-11 : 250/377/दिनांक : 15-9-10

परियोजना प्रबन्धक,
(जिला जलग्रहण विकास इकाई) एवं
अभिशाषी अभियन्ता (भू संसाधन),
समस्त जिला परिषद (श्रीगंगानगर जिले की छाडकर)

विषय :- आई डब्ल्यूएमपी. योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 में रवीकृत जलग्रहण
परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश विन्दु गतिविधियों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आई डब्ल्यूएमपी योजनान्तर्गत वर्ष
2009-10 में रवीकृत जलग्रहण परियोजनाओं में प्रदेश विन्दु गतिविधियों काँग्रेस माईड
लाईन-2008 के पैरा 50 (क) के अनुसार क्रियान्वित की जाना है। इस बाबत विभाग
के परिपत्र क्रमांक एफ.18(आई-24)निजमूस/आई डब्ल्यूएमपी/864 दिनांक 23.2.2010
एवं पत्र क्रमांक एफ.18(आई-24)निजमूस/आई डब्ल्यूएमपी/ईपीए/2009-10/
4523-4522 दिनांक 30.03.2010 द्वारा पृथक से निर्देश दिए जा चुके हैं।

प्रदेश विन्दु गतिविधियाँ अन्तर्गत करान गये जायें की समीक्षा करने पर पाया
गया कि समीक्षा बैठक में निर्देशित विभिन्न मानक वाचबूद्ध कुछ जिलों द्वारा इस
गतिविधि हेतु उपलब्ध राशि (परियोजना लागत की 4 प्रतिशत) राशि में से अधिकतम
राशि केवल सौर ऊर्जा प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने में ही व्यय कर दी गयी जो
कि भारत सरकार द्वारा जारी काँग्रेस माईड लाईन-2008 के पैरा 50 (क) में
उल्लेखित Mandate के अनुरूप नहीं है। इस गतिविधि के अन्तर्गत मार्गदर्शिका
अनुसार विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ का निर्धारण गणराज्य के निर्णय अनुसार लिया
जाना अपेक्षित है।

इन तथ्यों के मद्देनजर निम्नांकित निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की
जायें :-

1. प्रदेश विन्दु गतिविधि हेतु प्रत्येक जलग्रहण परियोजना अन्तर्गत उपलब्ध राशि की
अधिकतम 25 प्रतिशत राशि ही सौर लाईट स्थापना पर व्यय की जायें।

23

2. डी.जी.एस. एण्ड डी. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही सोलर लाइट की स्थापना सुनिश्चित की जावे।
3. सोलर लाइटों की उपयोगिता शत प्रतिशत सुनिश्चित की जावे।
4. सोलर लाइट्स की स्थापना के बाद उपभोक्ता समूह/कमेटी इन पर निगरानी रखने की व्यवस्था करे।

Pa
निदेशक

3(आई-24)निजमूस/आईडब्ल्यूएमपी/2010-11/2501-277 दिनांक : 15-9-10

सहायक निदेशक, निदेशालय, जयपुर।
सहायक निदेशक, निदेशालय, जयपुर।
सहायक निदेशक (प्रशासन/एमआईईएस), निदेशालय, जयपुर।
सहायक निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशिक्षण/यु. नि. सतर्कता/ग्रामीण विकास/प्रशासन/एनडब्ल्यूडीपी), निदेशालय, जयपुर।
सहायक निदेशक, समस्त जिला परिषद (श्रीगंगानगर जिले को छोड़कर)
सहायक अभियन्ता एवं पी.आई.ए. पंचायत समिति.....

Pa
निदेशक